रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2014/अग्रहायण 18, 1936
No. 289] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2014/AGRAHAYANA 18, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसंबर, 2014

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेलामाइन" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

1. **फा. सं.15/17/2014-डीजीएडी.**—यत:, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेलामाइन के आयातों पर दिनांक 27.02.2004 की अधिसूचना संख्या 14/16/2003-डीजीएडी के तहत अनंतिम शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी और भारत सरकार द्वारा इस अनंतिम शुल्क का अधिरोपण दिनांक 02.04.2004 की अधिसूचना संख्या 53/2004-सीमाशुल्क के तहत किया गया था। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेलामाइन (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हुए अपनी अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना दिनांक 03.09.2004 की अधिसूचना संख्या 14/16/2003-डीजीएडी के तहत जारी की और भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 नवम्बर, 2004 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 107/2004 के तहत यह निर्णायक शुल्क अधिरोपित किया था।

2. यत:, तत्पश्चात निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने के मामले के संबंध में दिनांक 21.11.2008 की अधिसूचना संख्या 15/29/2008-डीजीएडी के तहत एक निर्णायक समीक्षा प्रारंभ की। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 20.12.2009 की अधिसूचना संख्या 15/29/2008-डीजीएडी के तहत पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की सिफारिश की थी। संबद्ध देश से

मेलामाइन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करते हुए दिनांक 19.02.2010 को एक अधिसूचना संख्या 10/2010-सीमाशुल्क जारी की गई।

3. यत:, मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड ने अधिनियम एवं नियमों के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना होने का आरोप लगाते हुए दायर किया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसकी अवधि में विस्तार करने और उसमें संशोधन करने तथा उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

घरेलू उद्योग एवं आधार

4. इस निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदनपत्र मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनी का संबद्ध देश में किसी निर्यातक से अथवा भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से (न तो प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से) कोई संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। तथापि, याचिकाकर्ता ने आधार वर्ष में कुछ आयात किया था। प्राधिकारी का विचार है कि कंपनी का मुख्य फोकस इसके उत्पादक पर है और वह इसका स्वयं अपना उत्पादन करे। कंपनी को नियमावली के आशय के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है।

5. याचिकाकर्ता कंपनी इस विचाराधीन उत्पाद की भारत एकमात्र उत्पादक है। प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध सूचना की जांच करने के पश्चात यह निर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता कंपनी नियम 2 (ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है तथा यह याचिका पूर्वोक्त नियमावली के नियम 5 में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार आधार के निकर्ष के पूरा करती है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. मूल जांच तथा प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद मेलामाइन है जो स्वादरहित, सुगन्धरहित और गैर-टाक्सिक पदार्थ होता है। मेलामाइन की फार्मेल्डीहाइड के साथ अनुक्रिया कराके इससे रेजिन बनाया जाता है या सौंदर्य एवं उपयोगिता के असंख्य उत्पादों का निर्माण करने के लिए इसे मोल्ड किया जाता है। मेलामाइन फार्मेल्डीहाइड रेजिन का प्रयोग लैमिनेट्स के लिए किया जाता है, इससे अच्छी सख्ताई आती है तथा खरोंच, धब्बा, जल एवं ताप अवरोध होता है। कुछ इलेक्ट्रिकल अनुप्रयोगों में प्रयुक्त इस लैमिनेट्स से उच्च यांत्रिक सुदृढ़ता, ताप अवरोधन एवं इलेक्ट्रिक इन्सुलेटिंग के बेहतर अभिलक्षण प्राप्त होते हैं।

7. यह संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क प्रशुल्क के अध्याय 29 के अंतर्गत अर्शीषक संख्या 29336100 के अंतर्गत आती है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी रूप में यह वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा जांच की शुरुआत

8. यत:, विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र के मद्देनजर तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बारे में प्रभावी शुल्क को अधिरोपण की निरंतरता बनाए रखने की जरूरत की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एतद्वारा एक निर्णायक समीक्षा प्रारंभ करते हैं।

अंतर्ग्रस्त देश

9. इस जांच में अंतर्ग्रस्त देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि

10. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच के लिए दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक की अवधि के लिए जांच की अवधि का प्रस्ताव किया था। तथापि, प्राधिकारी ने उसमें दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 30.06.2014 तक के तीन माह का विस्तार किया है जिससे कि अद्यतन आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सके। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा जांच की अवधि भी शामिल होगी।

प्रक्रिया

11. इस समीक्षा में दिनांक 22.12.2009 की अधिसूचना संख्या 15/29/2008-डीजीएडी (निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणाम) के सभी पहलू आच्छादित होंगे।

सामान्य मूल्य

12. इस समीक्षा में पूर्वोक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 22, 26, 27, 28, 29 और 20 यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

13. सम्बद्ध देश के निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकारों को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए, भारत में इस संबद्ध उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप और ढंग से सभी संगत जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचारों से प्राधिकारी को अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग

नई दिल्ली-1100**01**

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर इस जांच से संगत प्रस्तुतिकरण विहित स्वरूप और ढंग से कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी अन्य पक्षकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराएगा।

समय-सीमा

15. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए किया गया कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जिससे कि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से **40** दिनों (चालीस दिनों) से अनधिक समय के भीतर पहुंच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के अंदर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

16. वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सुझाव दिया जाता है कि वे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर इस पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने अथवा अन्यथा की जरूरत के संबंध में अपनी टिप्पणियां इस समीक्षा जांच की शुरूआत से 40 दिनों के अंदर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किए जाने के मामले में इसे दो अलग-अलग भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए : (क) गोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) और (ख) दूसरा भाग अगोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" लिखा जाना चाहिए।

18. किसी भी तरह के चिन्ह के बिना उपलब्ध कराई गई सूचना अगोपनीय समझी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना के निरीक्षण की अनुमति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होंगे। गोपनीय तथा अगोपनीय पाठ की दो-दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

19. गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रस्तुत सूचना के साथ इस बात का ठोस कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती और/अथवा उस सूचना को सारांश में प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

20. अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचीबद्ध किया जाए/संक्षेप में बताया जाए। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके। फिर भी, विशेष परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी दर्शा सकती है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और कारणों का एक ब्यौरा कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए।

21. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के उपरांत प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता हेतु अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य अथवा सारांश रूप से इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में दिए गए कारण के ब्यौरे के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी रिकार्ड में नहीं लेंगे। प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना से संतुष्ट होने और गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार कर लेने पर, ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए बिना, किसी भी पक्षकार के समक्ष इसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्रीय सकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

Initiation

New Delhi, the 9th December, 2014

(Sunset Review)

Subject: Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping duty on imports of 'Melamine' originating in or exported from China PR.

1. **F. No. 15/17/2014-DGAD**.—Whereas, the Designated Authority having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules) recommended imposition of provisional duty on imports of Melamine originating in and exported from China PR vide notification No.14/16/2003-DGAD dated 27.02.2004 and such provisional duty was imposed by the Government of India vide Notification No.53/2004-Customs dated 02.04.2004. The Authority issued its final findings recommending imposition of definitive anti dumping duty on imports of Melamine (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country), vide notification No 14/16/2003-DGAD dated 03.09.2004 and such definitive duty was imposed by the Govt. of India vide customs notification No.107/2004-Customs dated 16th November, 2004.

2. Whereas The Designated Authority thereafter vide notification No. 15/29/2008-DGAD, dated the 21.11.2008, had initiated sunset review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of subject goods, originating in, or exported from, the subject country, imposed. The Designated Authority vide notification No. 15/29/2008-DGAD, dated the 20.12.2009, had recommended for continuation of the anti-dumping duty. Notification No. 10/2010-Customs was issued on 19.02.2010 imposing anti dumping duty on imports of Melamine from the subject country.

3. Whereas, M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. has filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Subject Country and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, extension of period, modification and enhancement of existing anti dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

4. The application for the sunset review has been filed by M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. As per the information available, the petitioner company is not related (neither directly nor indirectly) to any exporter in the subject country or importer of product under consideration in India. The petitioner has not imported the subject goods from subject country during period of investigation. However the petitioner has made some imports from subject country during the base year. The Authority is of the view that the focus of the company continues to be of a producer and do its own production. The company has been considered as eligible domestic industry within the meaning of the Rules.

5. The petitioner company is the sole producer of the product under consideration in India. The Authority after examining the information on record has determined that the petitioner company constitute domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra

Product under Consideration and Like Article

6. The product under consideration, in the original as well as in first sunset review investigation is Melamine, a tasteless, odourless, and non-toxic substance. Melamine is reacted with formaldehyde and made into resins or moulding powder for making innumerable products of beauty and utility. Melamine formaldehyde resin is used for laminates offer good hardness, resistance to scratch, stain, water and heat. Laminates used in some electrical applications possess high mechanical strength, good heat resistance and good electrical insulating properties.

7. The subject goods fall under Chapter 29 of the Customs Tariff under Subheading No. 29336100. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Initiation of Sunset Review of Anti Dumping Duty

8. Whereas in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Country Involved

9. The country involved in this investigation is China PR.

Period of investigation

10. Domestic Industry has proposed the period of investigation for the present investigation as 1.4.2013 to 31.3.2014. However the authority has extended the same by 3 months as 1.4.2013 to 3.6.2014 so as to undertake analysis on the most recent date. Further the injury investigation period will cover the periods April 2010 to March 2011, April 2011 to March 2012, April 2012 to March 2013 and the Period of Investigation (POI).

Procedure

11. The review covers all aspects of Notification No. 15/29/2008-DGAD, dated the 22.12.2009 (final findings of the sunset review investigation).

12. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

13. The known exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties

Ministry of Commerce and Industry

Department of Commerce

4th Floor, Jeewan Tara Building, Parliament Street, New Delhi.

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit:

15. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this review investigation.

Submission of information on confidential basis.

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as non-confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

18. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

23. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

24. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.